



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
परिनियत आदेश

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025
12 फाल्गुन, शक सम्वत् 1946

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-592/वि०प०-01 समि०/2024
लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2025

अधिसूचना

विविध

प०आ०-362

चूंकि, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 अगस्त, 2024 की बैठक में प्रस्ताव स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, विधान परिषद् की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय,

और, चूंकि, विधान परिषद् के निम्नलिखित 9 सदस्यगण इस प्रवर समिति के सदस्य नामित किये गये हैं :-

- 1-डा० जयपाल सिंह 'व्यस्त'
- 2-डा० लाल जी प्रसाद निर्मल
- 3-डा० प्रज्ञा त्रिपाठी

4-डा0 के0 पी0 श्रीवास्तव

5-श्री आशुतोष सिन्हा

6-श्री विच्छे लाल राम

7-श्री योगेश चौधरी

8-श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

9-श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल'

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-157 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रवर समिति के पदेन सदस्य होंगे,

और, उक्त प्रवर समिति में माननीय उप मुख्य मंत्री एवं नेता सदन भी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विधेयक दिनांक 01 अगस्त, 2024 को उपर्युक्त 11 सदस्यों की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ने उक्त नियमावली के नियम-80(1) सपटित नियम-164 के अन्तर्गत श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उक्त प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया है। उक्त प्रवर समिति का कार्यकाल दो माह का होगा।

आज्ञा से,

डा0 राजेश सिंह,

प्रमुख सचिव।